न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 80/23

GCMS NO 2023/147

1. अमृतलाल पुत्र गिर्राज
2. विजय पुत्र गिर्राज
3. शुभम पुत्र गिर्राज
4. राजन्ती पत्नि गिर्राज
5. धनवन्ती पुत्री गिर्राज
6. ममता पुत्री गिर्राज
7. बरफी पुत्री गिर्राज
8. रेखा पुत्री गिर्राज समस्त जातियान माली निवासीयान जलोखरा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. रीता देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार जैन निवासी प्राईवेट बस स्टेड के पास गंगापुर सिटी
2. ममता शर्मा पत्नि योगेश कुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी गंगापुर सिटी हाल निवासी करौली
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व निर्णय मु0नं0 7/22 दिनांक 16.8.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री जय प्रकाश सैनी
अभिभाषक रैस्पो0 श्री तरूण कुमार शर्मा

दिनांक 27.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 16.8.23 न्यायालय उपजिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीयां संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख0न0 376/250 रकबा 0.50 है0, ख0न0 380/363 रकबा 0.23 है0 , ख0न0 381/375 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.92 है0 व प्रार्थीया संख्या 2 की खातेदारी भूमि ख0न0 387/3[illegible] 0.15 है0 ग्राम जलोखरा मे स्थित है। प्रार्थीगण की इस भूमि मे आवाग[illegible] ले जाने व कृषि उपज को ले जाने का एक मात्र रास्ता गैर मुमकिन रा[illegible] ख0न0 251 मे से होते हुए ख0न0 382/250 व 383/375 मे से होता हुआ जाता है। उक्त [illegible]स्ते से प्राथीगण आते [illegible] उस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। भूमि ख0न0 382/250 व 383/375 के पूर्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खातेदार गिर्राज द्वारा प्रार्थी संख्या 2 के हक मे इकरारनामा भी दिनांक 20.8.09 को लिख कर दिया गया है। समर्पत्र पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर लिखकर दिया है। जिससे स्पष्ट है कि यह भूमि रास्ते की भूमि है। दिनांक 13.7.21 को अप्रार्थीगण ने रास्ते की भूमि पर कब्जा करने की नियत से एवं रूपये ऐठने की नियत से ईट की दीवार बनाकर रास्ते को अवरूद्व कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा उलाहना देने पर अप्रार्थीगण नाराज हो गये और कहाँ कि यह भूमि हमारे नाम है हम तुम्हे इसमे से निकलने नही देगे। जिसकी शिकायत तहसीलदार के यहाँ करने पर अप्रार्थीगण को अतिक्रमी माना परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नही हुई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने वाले रास्ते को अवरूद्व कर दिया गया है जिससे प्रार्थीगण को आने जाने मे परेशानी आ गई। इस कारण अवरूद्व कि गई भूमि का खुलासा कराया जावे तथा रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे यदि आवश्यक हो तो डी एल सी दर से प्रार्थी राशि जमा कराने को तैयार है। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो० का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो० को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट ने अपनी बहस अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। ख0न0 376/250 रकबा 0.50 है0 , 380/363 रकबा 0.23 है0 , 381/375 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.92 है0 व भूमि ख0न0 387/363 रकबा 0.15 है0 पर जाने का रास्ता पुराने नक्शे मे मुख्य सडक ख0न0 259 से रिकार्डेड रास्ता 209 व 210 की डोल के बीच मे होकर ख0न0 221 व 209 के बीच मे होकर रहा है जो वर्तमान मे भी चालू है तथा पुराने नक्शे मे उक्त रास्ता रिकार्डेड रास्ता है। रेस्पो0 भी इसी रास्ते से आते जाते रहे है। ख0न0 382/250 व 383/375 मे से कभी कोई रास्ता नही रहा है। उक्त ख0न0 मे अपीलांट के पुरान आवासीय मकान टीनसेड बोरिंग तथा चारो तरफ बाउन्ड्री बनी हुई है। उक्त ख0न0 मे से रास्ता दिये जाने से अपीलांट को लाखो रूपयो का नुकसान होगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 30 फीट का रास्ता गलत रूप से दिया गया है। रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा ख0न0 282/250 व 382/375 मे से रास्ता चाहा है जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है ना ही संशोधित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पो0 के खेतो पर जाने का रास्ता वर्षो से ख0न0 259 गैर मुमकिन रास्ता के पास स्थित ख0न0 209 व 210 की डोल के बीच मे होकर ख0न0 221 व 209 के बीच मे होकर रहा है। जिसके पास ही ख0न0 234 गैर मुमकिन रास्ता है जिसके सटवा ही रेस्पो0 की भूमि स्थित है। अपीलांट की आराजीयात ख0न0 382/250 व 383/375 ... इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रेस्पो0 ने अपील बहस मे तर्क दिया कि रेस्पो/ प्रार्थीयां संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख0न0 376/250 रकबा 0.50 है0, ख0न0 380/363 रकबा 0.23 है0, ख0न0 381/375 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.92 है0 व रेस्पो/प्रार्थीया संख्या 2 की खातेदारी भूमि ख0न0 387/363 रकबा 0.15 है0 ग्राम जलोखरा मे स्थित है। रेस्पो0/प्रार्थीगण की इस भूमि मे आवागमन हेतु कृषि यंत्रो व हल बैलो को लाने ले जाने व कृषि उपज को ले जाने का एक मात्र रास्ता गैर मुमकिन रास्ता ख0न0 251 मे से होते हुए ख0न0 382/250 व 383/375 मे से होता हुआ जाता है। उक्त रास्ते से रेस्पो/प्रार्थीगण आते जाते है। उस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। भूमि ख0न0 382/250 व 383/375 के पूर्व खातेदार गिर्राज द्वारा प्रार्थी संख्या 2 के हक मे इकरारनामा भी दिनांक 20.8.09 को लिख कर दिया गया है। सर्मपत्र पत्र 100 रूपये के स्टाम्प पर लिखकर दिया है। जिससे स्पष्ट है कि यह भूमि रास्ते की भूमि है। दिनांक 13.7.21 को अप्रार्थीगण ने रास्ते की भूमि पर कब्जा करने की नियत से एवं रूपये ऐठने की नियत से ईट की दीवार बनाकर रास्ते को अवरूद्व कर दिया। इस कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार से प्राप्त आदेश की पालना मे पटवारी हल्का बाढकलां द्वारा मौके पर जाकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई। मौके पर उपस्थित मोतबिरान के हस्ताक्षर कराये जाकर फर्द मौका बनाया गया। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट एवं पूर्व खातेदार गिर्राज द्वारा किये गये इकरारनामे के आधार पर एवं रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता के मद्देनजर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो के अन्तर्गत ही अपीलाधीन निर्णय विधि अनुरूप पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इससे यह तथ्य सामने आये कि रेस्पो0/प्रार्थीयां संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख0न0 376/250 रकबा 0.50 है0, ख0न0 380/363 रकबा 0.23 है0, ख0न0 381/375 रकबा 0.17 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.92 है0 व रेस्पो/प्रार्थीया संख्या 2 की खातेदारी भूमि ख0न0 387/363 रकबा 0.15 है0 ग्राम जलोखरा मे स्थित है। रेस्पो0/प्रार्थीगण की इस भूमि मे आवागमन हेतु कृषि यंत्रो व हल बैलो को लाने ले जाने व कृषि उपज को ले जाने का एक मात्र रास्ता गैर मुमकिन रास्ता ख0न0 251 मे से होते हुए ख0न0 382/250 व 383/375 मे से होता हुआ जाने के कारण अपीलांट द्वारा सहमति से रास्ता नही दिये जाने के कारण एवं पूर्व खातेदार गिर्राज द्वारा दिनांक 8.10.09 को भूमि ख0न0 382/250 रकबा 0.05 है0 व 383/375 रकबा 0.01 है0 का सर्मपण राज्य सरकार के हित मे भूमि को रास्ते के उपयोग के लिए किये जाने के फलस्वरूप समर्पित की गई भूमि पर अपीलांट द्वारा अवैध रूप से अतिचार करने एवं रास्ता प्रदान नही किये जाने के कारण ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। रेस्पो0 की आराजीयात पर आने जाने हेतु भूमि ख0न0 251 से होते हुए ग्राम जलोखरा तक जा रहा है तथा अपीलांट की भूमि ख0न0 382/250 व 383/375 मे से 30 फीट का रास्ता डीएलसी दर की दुगनी राशि का भुगतान अपीलांट को किये जाने की शर्त पर रास्ता प्रदान किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

चूकि:रास्ते हेतु पूर्व खातेदार गिर्राज द्वारा 6 ऐयर भूमि का सर्मपण किया गया है। इस कारण रेस्पो/प्रार्थीगण उक्त भूमि मे से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त रास्ते से रेस्पो/प्रार्थीगण आते आते है। यह तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है। पूर्व खातेदार द्वारा समर्पित की गई भूमि पर अपीलांटान द्वारा पक्का निर्माण,टीनशेड,बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया जाना पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है। जिससे अपीलांट द्वारा रास्ते की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा होना सिद्व होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत डीएलसी दर की दोगुनी राशि अपीलांट/अप्रार्थीगण को भुगतान किये जाने की शर्त पर रास्ता प्रदान किया गया है। जो विधि के अनुरूप प्रदान किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 7/2022 निर्णय दिनांक 16.8.23 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner